

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक- एफ-5(प)(52)एसीटीएडी/माडा/275(1)EMRS क्षमतावृद्धि/2021-22/

दिनांक-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
अलवर/सवाई माधोपुर/करौली।

विषय- एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल स्कूल, मल्लाणा/बरनाला/रानौली की क्षमता वृद्धि की प्रशासनिक स्वीकृति।

राज्य सरकार से पत्रावली के पैरा संख्या-70-71/एन पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नांकित जनजाति एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल स्कूलों की क्षमता वृद्धि 480 तक करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को नियुक्त किया जाता है।

इन ईएमआरएस छात्रावास क्षमता को पूर्ण करने हेतु विवरण निम्नानुसार है-

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	ईएमआरएस का नाम व स्थान	निर्मित क्षमता	कार्य पूर्ण करने हेतु स्वीकृत राशि	वर्तमान स्थिति	पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी
1	ईएमआरएस, मल्लाणा	240	300.00	चारों छात्रावास में भू-तल (क्षमता 60) का निर्माण किया गया। प्रथम-तल का निर्माण नहीं किया गया।	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
2	ईएमआरएस, बरनाला	360	300.00	दो छात्रावास भू-तल + प्रथम-तल क्षमता 120 प्रत्येक पूर्ण निर्मित किये गये। दो छात्रावास 60 प्रत्येक (भू-तल स्तर) पूर्ण हैं। इस प्रकार 480 की क्षमता के निर्माण के बजाय कुल क्षमता 360 निर्मित की गई।	
3	ईएमआरएस, रानौली	120	400.00	दो छात्रावास भू-तल पर (क्षमता 60 प्रत्येक) निर्मित किये गये। दो छात्रावास (भू-तल + प्रथम तल) पर अपूर्ण हैं। इस प्रकार 480 की क्षमता के निर्माण के बजाय कुल क्षमता 120 निर्मित की गई।	
	योग		1000.00		

कृपया कार्यकारी एजेन्सी से ड्राईंग, साईट प्लान, 3D elevation, तकमीना व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत करावे ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सके।

||
(प्रज्ञा केवलरमानी)
आयुक्त

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक- एफ-5(प)(52)एसीटीएडी/माडा/275(1)EMRS क्षमतावृद्धि/2021-22/24851-72 दिनांक-03/09/2021
प्रतिलिपी -

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
2. प्रमुख/संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचि.- जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर/सवाई माधोपुर/करौली।
4. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
5. प्रशासक/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड-ग, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली को भेजकर लेख है कि साईट प्लान एवं ड्राईंग अनुमोदन हेतु शीघ्र प्रस्तुत करें।
9. प्राचार्य/अधीक्षिका, एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शियल स्कूल, (मल्लाणा जिला- अलवर/बरनाला जिला- सवाई माधोपुर/रानौली जिला- करौली)।
10. मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ/लेखाकार (माडा)/माडा मॉनिटरिंग/अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर शाखा/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)